

.न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं. ३, रायबरेली।

उपस्थित - श्वेता श्रीवास्तव (उच्चतर न्यायिक सेवा),

सत्र परीक्षण संख्या-७६/२०१६

रजि०नं०-७६/२०१६

राज्य उत्तर प्रदेश

.....अभियोजन पक्ष

बनाम्

१. बृजेश कुमार तिवारी उर्फ नन्हे पुत्र शिवशरण तिवारी, निवासी गडेहरा, मजरे पाकरगांव, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी।

२. मनोज कुमार पुत्र रामदास पासी, निवासी दशवन्त का पुरवा, मजरे खानापुर चपरा, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी।

३. अल्लाफ उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र मो०सरवर, निवासी भिलाई खुर्द, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी।

.....अभियुक्तग

ण

मुकदमा अपराध संख्या ७८६/१५

धारा- ३०७ भा.दं.सं.

थाना - मोहनगंज, जिला - अमेठी।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या-७९/२०१६

रजि०नं०-७९/२०१६

राज्य उत्तर प्रदेश

.....अभियोजन पक्ष

बनाम्

अल्लाफ उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र मो०सरवर, निवासी भिलाई खुर्द, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी।

.....अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या ७८९/१५

धारा- ३/२५ आयुध अधिनियम

थाना - मोहनगंज, जिला - अमेठी।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या-७८/२०१६

रजि०नं०-७८/२०१६

राज्य उत्तर प्रदेश

.....अभियोजन पक्ष

बनाम्

मनोज कुमार पुत्र रामदास पासी, निवासी दशवन्त का पुरवा, मजरे खानापुर चपरा, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी।

.....अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या ७८८/१५

धारा- ३/२५ आयुध अधिनियम

थाना - मोहनगंज, जिला - अमेठी।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या-७७/२०१६

रजि०नं०-७७/२०१६

राज्य उत्तर प्रदेश

.....अभियोजन पक्ष

बनाम्
 बृजेश कुमार तिवारी उर्फ नन्हे पुत्र शिवशरण तिवारी, निवासी गडेहरा, मजरे पाकरगांव, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी।

.....अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या ७८७/१५
 धारा- ४/२५ आयुध अधिनियम
 थाना - मोहनगंज, जिला - अमेठी।

निर्णय

अभियुक्तगण बृजेश कुमार तिवारी उर्फ नन्हे, मनोज कुमार व अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र के विरुद्ध पुलिस थाना मोहनगंज, जिला अमेठी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या ७८६/१५, धारा ३०७ भा.दं.सं. एवं अपराध संख्या ७८९/१५ धारा ३/२५ आयुध अधिनियम, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी एवं अपराध संख्या ७८८/१५ धारा ३/२५ आयुध अधिनियम, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी एवं अपराध संख्या ७८७/१५ धारा ४/२५ आयुध अधिनियम, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी के अन्तर्गत पृथक-पृथक आरोपपत्र प्रेषित किये गये हैं।

चूंकि उपरोक्त चारो सत्र परीक्षण एक ही घटना से सम्बन्धित हैं, अतः चारो सत्र परीक्षणों का निस्तारण एक साथ किया जाता है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रतन सिंह, थानाध्यक्ष, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी द्वारा फर्द बरामदगी प्रदर्श क१ इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि दिनांक २०.१२.२०१५ को वादी मुकदमा मय एस.आई. कृष्णकांत व हरिश्चन्द्र यादव एवं कां. ५२ क्षेत्रपाल सिंह, कां. १२५ अखिलेश सिंह, कां. २०७ रामकुमार शुक्ल मय जीप सरकारी यू.पी.४४जी००१४ मय चालक कां. १७२ उदय प्रताप पाण्डेय के समय १६.१० पर थाने से खाना होकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग करते हुए राजामउ नहर पुल मोहनगंज से जगदीशपुर मार्ग पर मौजूद था कि नहर पटरी पक्की सड़क तिलोई की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसे रूकने के लिए कहा गया तो पुलिस को देखकर वे गाड़ी मोड़ने लगे, जिस पर सभी पुलिसवाले उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे दोनों व्यक्तियों ने पुलिसवालों पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया। सभी पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गये। दूसरी बार वे अपना तमंचा लोड करते कि समय करीब १८.२० बजे उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को मय मोटरसाइकिल के पकड़ लिया गया। पकड़े गये तीनों लोगों की जामातलाशी ली गयी तो बृजेश कुमार तिवारी उर्फ नन्हे के पास से एक अदद चाकू, मनोज कुमार के पास से एक अदद देशी तमंचा व एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस ३१५ बोर तथा अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र के पास से एक अदद देशी तमंचा व एक जिन्दा कारतूस ३१५ बोर बरामद हुआ, पकड़े गये व्यक्तियों से तमंचा व कारतूस रखने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहे। अभियुक्तगण का यह कृत्य धारा ३/२५ आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुए अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद तमंचा, कारतूस कब्जा पुलिस में

लेकर अलग-अलग कपड़े में रखकर सिलकर सर्वमुहर कर नमूना मोहर बनाया गया। गिरफ्तारी मेमो भरी गयी। फर्द मौके पर टार्च व मोमबत्ती की रोशनी में एस.आई. कृष्णकांत से लिखवाकर हमराही व अभियुक्तगण से हस्ताक्षर बनवाये जा रहे हैं। आने-जाने वाले लोगों को गवाही हेतु कहा गया परन्तु कोई तैयार नहीं हुआ। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के परिजनों को दी जाएगी। मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया।

फर्द बरामदगी तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अप.सं.७८६/२०१५, धारा ३०७ भा० दं० सं० एवं अपराध संख्या ७८९/१५ धारा ३/२५ आयुध अधिनियम, एवं अपराध संख्या ७८८/१५ धारा ३/२५ आयुध अधिनियम एवं अपराध संख्या ७८७/१५ धारा ४/२५ आयुध अधिनियम, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी में दर्ज की गयी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी। जिन्होंने नकल चिक, नकल रपट, बयान हेड मोहररि सी० डी० में अंकित किया। वादी मुकदमा एवं अन्य गवाहान के बयान अंकित किये। घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचनोंपरान्त अभियुक्तगण बृजेश कुमार तिवारी उर्फ नन्हे, मनोज कुमार व अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या ७८६/१५, धारा ३०७ भा.दं.सं. एवं अपराध संख्या ७८९/१५ धारा ३/२५ आयुध अधिनियम एवं अपराध संख्या ७८८/१५ धारा ३/२५ आयुध अधिनियम एवं अपराध संख्या ७८७/१५ धारा ४/२५ आयुध अधिनियम, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी के अन्तर्गत पृथक-पृथक आरोपपत्र प्रेषित किये गये हैं।

आरोपपत्र प्राप्त होने के उपरान्त विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं. १३, रायबरेली द्वारा मामले का प्रसंज्ञान लिया गया तथा उपरोक्त सभी पत्रावलियों को विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया। अभियुक्तगण बृजेश कुमार तिवारी उर्फ नन्हे, मनोज कुमार व अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र के विरुद्ध धारा- ३०७ भा० दं० सं० एवं धारा-३/२५ व ४/२५ आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

आरोप लगाये जाने के बाद अभियोजन साक्ष्य पेश करने को कहा गया तथा साक्ष्य हेतु पर्याप्त मौका दिया गया। अभियोजन की तरफ से पी० डब्लू० १ रतन सिंह, पी० डब्लू०-२ कां.८४ भजनलाल, पी० डब्लू-३ एस.आई. प्रदीप कुमार, पी.डब्लू.४ एस.आई. हरिश्चन्द्र यादव को साक्ष्य में पेश किया गया।

अभिलेखीय साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से फर्द बरामदगी प्रदर्श क-१, चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क-२, कार्बन प्रति जी.डी. प्रदर्श क-३, नक्शा नजरी व आरोपपत्र प्रदर्श क-४ ता प्रदर्श क-११, बरामद तमंचा एवं दो अदद जिन्दा एवं एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद चाकू भौतिक प्रदर्श-१ लगायत प्रदर्श-७ आदि अभिलेख दाखिल किये गये हैं।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी० डब्लू० १ रतन सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक २०.१२.२०१५ को वह थाना मोहनगंज, जिला अमेठी में एस.ओ.

के पद पर तैनात थे। उस दिन वह, एस.आई कृष्णकांत, एस.आई. हरिश्चन्द्र यादव, कां.छत्रपाल सिंह, कां. अखिलेश सिंह, कां. रामकुमार शुक्ला मय जीप सरकारी चालक उदय प्रताप के थाने से रपट नं.२२ समय १६.१० पर वाहन चेकिंग एवं क्षेत्र भ्रमण तथा तलाश संदिग्ध व्यक्ति रवाना होकर राजामउ पुल मोहनगंज से जगदीशपुर मार्ग पर था कि नहर पटरी पक्की सड़क तिलोई की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखायी दी, जिसे टार्च की रोशनी डालते हुए रोका तो मोटरसाइकिल चलाने वाले ने कहा कि अरे साले पुलिस वाले हैं, कहते हुये गाड़ी मोड़ने लगा तभी हम सभी पुलिसवाले टार्च की रोशनी डालते हुए पकड़ने के लिए आगे बढ़े कि मोटरसाइकिल पर बैठे हुए व्यक्ति ने पुलिसवालों पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया परन्तु सभी पुलिसवाले बाल-बाल बच गये। दूसरी बार अपना तमंचा लोड करते हुए सभी लोग ललकारते हुए दौड़कर पक्की सड़क पर ही २०.१२.२०१५ को समय ८.२० बजे तीनों व्यक्तियों को मय मोटरसाइकिल के पकड़ लिया। नाम, पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो मोटरसाइकिल चलाने वाले ने अपना नाम बृजेश कुमार तिवारी उर्फ नन्हें, दूसरे ने मनोज कुमार तथा तीसरे ने अपना नाम अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र बताया। इस साक्षी ने फर्द प्रदर्श क-१, बरामद चाकू वस्तु प्रदर्श-१, एक अदद देशी तमंचा ३१५ बोर वस्तु प्रदर्श-२, एक जिन्दा कारतूस वस्तु प्रदर्श-३, खोखा कारतूस वस्तु प्रदर्श-४, एक अदद देशी तमंचा वस्तु प्रदर्श-५, एक अदद जिन्दा कारतूस वस्तु प्रदर्श-६ एवं एक अदद खोखा कारतूस वस्तु प्रदर्श-७ को साबित किया है।

पी० डब्लू०-२ कां.८४ भजनलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक-२०.१२.२०१५ को थाना मोहनगंज में वह बतौर कांस्टेबिल मोहरीर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा रतन सिंह, एस.ओ. के फर्द के आधार पर उसने मु.अ.सं.७८६/१५ व ७८७/१५ अन्तर्गत धारा ३०७ भा.दं.सं. व ४/२५ आयुध अधिनियम व अप.सं. ७८८/१५ अन्तर्गत धारा ३/२५ आयुध अधिनियम व अप.सं. निल/१५ धारा ४१/४११ भा.दं.सं. विरुद्ध बृजेश कुमार व अन्य तथा अप.सं.७८९/१५ अन्तर्गत धारा ३/२५ आयुध अधिनियम विरुद्ध अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र कायमी रपट नं. ३१ समय २१.१५ पर दर्ज किया था। साक्षी ने पत्रावली में शामिल चिक प्रदर्श क-२ का.सं.३क/१ व ३क/२ एवं कायमी जी.डी. प्रदर्श क-३ का.सं.८क/३ व ८क/४ को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहा।

पी.डब्लू.३ एस.आई.प्रदीप कुमार ने अपने बयान में कहा है कि, दिनांक २०.१२.२०१५ को वह चौकी प्रभारी शंकरगंज, थाना मोहनगंज में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। इस दिन उसने मुकदमा अपराध संख्या ७८६/१५, ७८७/१५, ७८९/१५ व निल/१५ की विवेचना प्राप्त किया था, नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक, बयान वादी व अभियुक्तगण लेकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्षी ने नक्शानजरी प्रदर्श क-४, आरोपपत्र अप.सं.७८६/१५ धारा ३०७ भा.दं.सं. प्रदर्श क-५, शामिल पत्रावली एस.टी.नं. ७६/१६ शासन प्रति बृजेश कुमार तिवारी का.स.५क नक्शानजरी प्रदर्श क-६, का.सं.३क आरोपपत्र अप.सं.७८७/१५ धारा ४/२५ आयुध अधिनियम प्रदर्श क-७, संलग्न पत्रावली एस.टी.नं. ७८/१६ शासन प्रति मनोज कुमार धारा ३/२५ आयुध अधिनियम में संलग्न का.सं. ५क नक्शानजरी प्रदर्श क-८, आरोपपत्र धारा ३/२५ आयुध अधिनियम प्रदर्श क-९, एस.टी.नं. ७९/१६ शासन प्रति अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र धारा ३/२५ आयुध अधिनियम में संलग्न

नक्शानजरी प्रदर्शक-१० एवं आरोपपत्र प्रदर्शक-११ को साबित किया है।

पी.डब्लू.४ एस.आई.हरिश्चन्द्र यादव ने अपने बयान में कहा है कि, दिनांक-२०.१२.२०१५ को वह बतौर उपनिरीक्षक थाना मोहनगंज में तैनात था। उक्त तिथि को एस.ओ.रतन सिंह, एस.आई. कृष्णकांत, कां.क्षत्रपाल सिंह, कां.अखिलेश सिंह, कां.रामकुमार शुक्ला मय जीप सरकारी चालक उदयप्रताप के थाने से रपट नं.२२ समय १६.१० पर वाहन चेकिंग एवं क्षेत्र भ्रमण तथा तलाश संदिग्ध व्यक्ति रवाना होकर राजामउ पुल मोहनगंज से जगदीशपुर मार्ग पर था कि नहर पटरी पक्की सड़क तिलोई की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखायी दी, जिसे टार्च की रोशनी डालते हुए पुलिस बल द्वारा रुकने को कहा गया तो मोटरसाइकिल चलाने वाले ने कहा कि अरे साले पुलिस वाले हैं, कहते हुये गाड़ी मोड़ने लगा तभी हम सभी पुलिसवाले टार्च की रोशनी डालते हुए पकड़ने के लिए आगे बढ़े कि मोटरसाइकिल पर बैठे हुए व्यक्ति ने पुलिसवालों पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया परन्तु सभी पुलिसवाले बाल-बाल बच गये। दूसरी बार तमंचा लोड करते हुए सभी लोग ललकारते हुए दौड़कर पक्की सड़क पर ही समय १८.२० बजे तीनों व्यक्तियों को मय मोटरसाइकिल के पकड़ लिया। नाम, पता पूछने पर मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम बृजेश कुमार तिवारी उर्फ नन्हें बताया, जिसकी जामातलाशी ली गयी तो एक अदद चाकू लोहे का, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मनोज कुमार बताया, तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ से एक अदद देशी तमंचा ३१५ बोर व एक खोखा कारतूस एवं एक जिन्दा कारतूस तथा तीसरे ने अपना नाम अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र बताया, उसकी जामातलाशी से एक अदद तमंचा ३१५ बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ दं.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना कहा गया। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

मैने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क किया कि घटना दिनांक २०.१२.२०१५ को समय १८.२० बजे के आस-पास अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया गया, संयोगवश उक्त फायर किसी पुलिस कर्मी को नहीं लगा, यदि उक्त फायर किसी पुलिस कर्मचारी को लग जाता तो उसकी मृत्यु होना संभव थी। अभियुक्तगण के पास से जामा तलाशी लिये जाने पर दो तमंचा ३१५ बोर एवं दो खोखा कारतूस एवं दो जिन्दा कारतूस तथा एक चाकू बरामद हुआ। आरोप साबित करने के लिए कुल ०४ साक्षीगण पेश किये गये हैं, जिन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप बिना किसी संदेह के साबित होते हैं और अभियुक्तगण दण्डित किये जाने योग्य हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्होंने पुलिस पार्टी पर कोई फायर नहीं किया है। १५ फिट की दूरी से फायर आर्म से बचना सम्भव नहीं है। नक्शानजरी में ए व बी बिन्दु के बीच की दूरी को प्रदर्शित नहीं किया है तथा नक्शानजरी किसके द्वारा बनायी गयी है, वादी मुकदमा या विवेचक के द्वारा, इस सम्बन्ध

में अभियोजन के मौखिक साक्ष्य से संदेह उत्पन्न होता है। फर्द बरामदगी प्रदर्शक - १ में अभियुक्त अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र के पास से कथित बरामद तमंचा में लकड़ी की चिप्पक एवं जंगदार रिपिट लगा होना अंकित है जबकि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० १ की प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में उक्त तथ्य से विरोधाभासी तथ्य निकलकर आया है। सभी साक्षी पुलिस कर्मी हैं, कट्टा, खोखा, चाकू व कारतूस किसी भी बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। किसी जनता के साक्षी को पेश नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप बिना किसी संदेह के साबित नहीं होते हैं, इसलिए अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य हैं।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर करना, अभियुक्तगण के पास से नाजायज तमंचा व कारतूस एवं चाकू बरामद होना कहा गया है। फर्द बरामदगी के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण एवं पुलिस पार्टी के बीच घटना के समय कोई अवरोध न होने के बावजूद भी जान से मारने की नियत से अभियुक्तगण द्वारा फायर करने से किसी भी पुलिसवाले को कोई चोट नहीं आयी जबकि अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पर तमंचे से फायर किया जाना कहा गया है। इसके अतिरिक्त किसी जनता के व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया, जैसा कि पी० डब्लू०-१ रतन सिंह वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में भी स्वीकार किया गया है कि जनता का कोई गवाह भलाई-बुराई के कारण गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ। पी० डब्लू० २ कां.भजनलाल, पी० डब्लू० ३ एस.आई. प्रदीप कुमार व पी०डब्लू०४ एस.आई. हरिश्चन्द्र यादव मौके के तथ्य के गवाह हैं, जिन्होंने फर्द बरामदगी के कथन को मुख्य परीक्षा में औपचारिक रूप से समर्थित किया है। घटना दिनांक २०.१२.२०१५ को देर शाम १८.२० बजे की कथित है।

पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा नजरी प्रदर्शक-४ में A पर अभियुक्तगण को उपस्थित होने तथा तीर के निशान से पुलिस पार्टी के आने के मार्ग को दर्शाया गया है, किन्तु इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी फर्द बरामदगी में नहीं बतायी गयी है तथा साक्षियों की साक्ष्य में भी दूरी नहीं बतायी गयी है। मौके पर किसी कृत्रिम प्रकाश के स्रोत के अभाव में दिसम्बर माह के देर शाम के अंधेरे में किस प्रकार जान से मारने की नियत से निशाना लगाकर अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, इसका कोई युक्तियुक्त संतोषजनक उल्लेख फर्द बरामदगी अथवा तथ्य के गवाहों के साक्ष्य में नहीं हुआ है। पी० डब्लू०-१ ने अपने बयान में कथन किया है कि टार्च की रोशनी में एक मोटरसाइकिल आती दिखायी दी थी, जिसके पास पहुंचा तो अचानक हम पुलिस वालों को देखकर, टोंकने पर जान से मारने की नियत से हम पुलिसवालों पर फायर कर दिया, हम लोग बाल-बाल बच गये। जबकि पी० डब्लू०-२ ता पी०डब्लू०४ ने कहा कि हम लोग मोटरसाइकिल के पास पहुंचकर उसे रोके-टोके तब उन व्यक्तियों ने यह कहा कि साले पुलिस वाले हैं और हम लोगों पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, हम लोग बाल-बाल बच गये, सभी साक्षियों ने ही किसी भी पुलिस कर्मी के घायल होने का कथन नहीं किया है। अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा फायर करने पर किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी है, जबकि पुलिस पार्टी जहाँ खड़ी थी व अभियुक्तगण को जहाँ पकड़ा गया, उसके बीच की दूरी फायरिंग के समय पी० डब्लू०-१ ने १० कदम बताया है एवं बरामदशुदा तमंचे की मारक क्षमता २० मीटर बताया है। मौके पर जनता का कोई गवाह नहीं है, न ही गवाह ढूँढने का प्रयास किया

गया। अभियुक्तगण के द्वारा कथित फायर करने का कोई छर्छा भी मौके से पुलिसकर्मियों द्वारा बरामद नहीं किया गया है। स्वीकृत रूप से पुलिसकर्मी संख्या में ०७ थे, जिन पर इतने नजदीक से कथित रूप से फायरिंग की गयी परन्तु किसी भी पुलिसकर्मी को चोट न लगना तथा अपने बचाव में पुलिसकर्मियों द्वारा कोई जवाबी फायर किये जाने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अभियोजन कथानक के अनुरूप पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नियत से अभियुक्तगण द्वारा फायर किये जाने के कथन को संदेहास्पद व अविश्वसनीय साबित करता है।

पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी प्रदर्शक - १ में अभियुक्त अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र के पास से कथित बरामद तमंचा में लकड़ी की चिप्पक एवं जंगदार रिपिट लगा होना अंकित है जबकि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०१ की प्रतिपरीक्षा साक्ष्य यह कथन किया गया है कि, अल्ताफ के पास से जो बरामद तमंचा दिखाया गया है, उसके दाहिनी तरफ पीतल की लगभग डेढ़ इंच लम्बी व पौन इंच चौड़ी रिपिट लगी प्लेट लगी है, इसका उल्लेख फर्द में किया है या नहीं, याद नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी प्रदर्शक - १ में अभियुक्त अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र के पास से कथित रूप से बरामद तमंचे में कहीं भी पीतल का कुछ भी लगे होने का उल्लेख नहीं है। उक्त मुकदमें का वादी मुकदमा थानाध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन व महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसके द्वारा कथित बरामद तमंचा वस्तु प्रदर्शक - ५ की पहचान के सम्बन्ध में अपनी साक्ष्य से संदिग्ध स्थिति को उत्पन्न किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के पास से बरामद तमंचे का घटना के समय चालू हालत में होने के सम्बन्ध में कोई विशेषज्ञ आख्या/बैलेस्टिक रिपोर्ट न तो दाखिल की गयी तथा न ही बरामद तमंचे को विशेषज्ञ के पास जांच हेतु भेजने का कोई उल्लेख फर्द बरामदगी/साक्ष्य में अभियोजन द्वारा किया गया है। अभियुक्तगण के पास से बरामद हथियार चालू हालत में होने पर ही मौके पर उससे फायर होना संभव हो सकता है, लेकिन बरामद हथियार के चालू हालत में होने की कोई आख्या पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा तैयार किया गया अभियोजन कथानक संदेहपूर्ण प्रतीत होता है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों व उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त रूप से अभियोजन कथानक को एवं संदेह से परे अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित नहीं किया जा सका है। न्यायालय के मतानुसार में अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं। अभियुक्तगण आरोपित आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण बृजेश कुमार तिवारी उर्फ नन्हे, मनोज कुमार व अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र को धारा-३०७ भा० दं० सं० के आरोप से तथा अभियुक्त बृजेश कुमार तिवारी उर्फ नन्हे को धारा ४/२५ आयुध अधिनियम के आरोप से तथा अभियुक्तगण मनोज कुमार व अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र को धारा ३/२५ आयुध अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं व प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण इस निर्णय की छः माह की अवधि तक दं० प्र० सं० की धारा ४३७-ए के अधीन वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जमानत पर रहेंगे। उक्त अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात दं० प्र० सं० की धारा ४३७-ए के अन्तर्गत दिए गए प्रतिभूपत्र व बन्धपत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

माल मुकदमाती वाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित हो।

इस निर्णय की एक-एक प्रति एस.टी.नं. ७९/२०१६ राज्य प्रति अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र धारा ३/२५ आयुध अधिनियम, एस.टी.नं. ७८/२०१६ राज्य प्रति मनोज कुमार धारा ३/२५ आयुध अधिनियम व एस.टी.नं.७७/२०१६ राज्य प्रति बृजेश कुमार तिवारी उर्फ नन्हे धारा ४/२५ आयुध अधिनियम की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक-२८.११.२०१९

(श्वेता श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं० ३
रायबरेली।

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-२८.११.२०१९

(श्वेता श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं० ३
रायबरेली।